Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वादपत्र संख्या –04/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामसिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत
2. पोलू पुत्र रामसुख जाति गूर्जर
3. छीतर पुत्र रामसुख जाति गूर्जर
4. भैरू पुत्र रामसुख जाति गूर्जर
5. हीरा पुत्र हजारी जाति बलाई
6. शिवराज सिह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत
7. रघुराजसिह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत
   समस्त निवासीगण सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 30.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सलारी में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 417 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1276, 1774, 1784 ,2093, 2102, 2602/2128 किता 6 कुल रकबा 4.39 है. भूमि वादी के नाम खातेदार दर्ज है एवं वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है प्रतिवादीगण 1 लगायात 7 वादी के पडोसी खातेदार है जो आये दिन वादी की आराजीयात पर अतिक्रमण कर लेते है जिससे आये दिन लडाई झगडे की आशका बनी रहती है। जिसके कारण वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरवाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली आज दिनांक 30.05.2018 को न्याय आपके द्वार केम्प सलारी पेश हुई जहां वादी व प्रतिवादी 1 व 7 ने उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया । पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार वादवर्णित भूमि वादी के नाम खातेदारी दर्ज है एवं वादी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नही जताई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत जवाब सरकार का अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी में होने से वादी का वाद प्राईमाफेसाई केस होना पाया जाता है एवं वादपत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 417 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1276, 1774, 1784 ,2093, 2102, 2602/2128 किता 6 कुल रकबा 4.39 है. भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर पत्थरगढी की जाकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 30.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट सलारी में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी